विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। –हरिऔध

यह कैसा सरलीकरण ?

प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने प्रारंभिक उद्बोधनों में कई बार नरेंद्र मोदी ने सरकार की प्रक्रियाओं की जटिलता की ओर लोगों का ध्यान दिलाया एवं आश्वासन दिया कि वे प्रक्रियाओं को सरल करेंग, ताकि सामान्य जन विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वांछित लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि वे " minimum government, maximum governance" अर्थात् न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर काम करेंगे। सरकारी कार्यालयों द्वारा आने वाली बाधाएं कम से कम की जाएंगी, ताकि साधारण नागरिक बिना किसी परेशानी के अपना काम करवा सकें। देश के नागरिकों ने उन पर विश्वास जताते हुए पहले 2014 में उन्हें सत्ता सौंपी और 2019 में और अधिक बहुमत के साथ भाजपा को सत्ता में बिठाया। इस सरकार को अब 9 साल हो चुके हैं।

यह एक अच्छा अवसर है जब प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का वास्तविकता के धरातल पर मूल्यांकन किया जाय। ऐसा लगता है कि जो अच्छी मंशा उन्होंने प्रारंभ में व्यक्त की थी, वह समय के साथ साथ भूल चुके हैं। वास्तविकता में तो आज सामान्य जन और भी अधिक परेशानियां विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव कर रहा है। इस बारे में एक ताजा उदाहरण पाठकों के समक्ष रखना उपयुक्त होगा। हाल ही में सभी बैंकों ने लॉकर धारकों को सूचित किया है कि वे बैंक के साथ नया समझौता पत्र हस्ताक्षिरत करके प्रस्तुत करें, जो 500 रुपये के स्टाम्प पर होना चाहिए।

यह उल्लेखनीय है कि बैंकों में लाखों लोगों के लॉकर हैं जिनमें कई महिलाएं हैं। इनमें से कई तो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। बैंकों ने यह भी कहा कि जो समय पर एग्रीमेंट फॉर्म जमा नहीं कराएंगे, वे अपने लॉकर का संचालन नहीं कर पाएंगे। बैंक का यह आदेश सभी लाखों-करोडों लोगों के लिए अत्यंत परेशानी का कारण बन के रह गया है। समझ में नहीं आता कि बैंक के पास जब पूरी केवाईसी (Know Your Customer) के दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उन्हें क्यों इस प्रकार के एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? बैंक में पता करने पर बताया गया कि ऊपर के आदेश है।

इस प्रकार का नोटिस देने के बाद 1सप्ताह का ही समय दिया गया था। उसके बाद समय-समय पर बढ़ाया जा रहा है। सरकार में बैठे लोगों को नहीं पता कि इस अनावश्यक आदेश से लोगों की जिंदगी में परेशानियां कितनी बढ़ गई हैं। पहली बात तो यही समझ से परे है कि जब लॉकर खोलते समय बैंक द्वारा एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं तो अब फिर दोबारा स्टांप पेपर पर ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? स्टांप पेपर हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। कई लोग तो यह भी नहीं जानते कि स्टाम्प पेपर भी ज्यूडिशल, नॉन जूडिशल, दो तरह का होता है, न केवल यह, 500 के स्टाम्प पेपर के लिए टैक्स समेत 750 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि लाखों से 750 रुपये प्रति व्यक्ति वसूल किए जाने हैं तो कितनी धनराशि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इस स्टाम्प पेपर एवं कर के रूप में अनावश्यक रूप से वसूल की जा रही है? इसका कोई कारण भी बैंकों के द्वारा किसी तरह से नहीं समझाया जाता कि ऐसा किया क्यों जा रहा है? स्पष्टता की इसी कमी के कारण लोगों में भ्रम तो यह भी उत्पन्न हो रहा है कि जो लोग इस प्रकार का एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर पर जमा नहीं करा पाएंगे, उनके लॉकर ज़ब्त करके बैंक की संपत्ति माना जा सकता है।

मजबूर होकर मैंने किसी से स्टाम्प पेपर और एग्रीमेंट मंगवाया, एग्रीमेंट 10- 12 पेज का था और उसे पढकर मतलब निकालना सरल नहीं था। अत: बिना देखे ही करीब 12 जगह हस्ताक्षर कर दिए। पूरा एग्रीमेंट अंग्रेजी में था और सभी लोग इसको बिना पढ़े ही हस्ताक्षर कर रहे हैं। वैसे ही आजकल बिना पढ़े हस्ताक्षर करने की बाध्यता कई स्थानों पर हो गई है। बाद में मनमाने तौर पर, इसी आधार पर साधारण नासमझ लोगों को परेशान किया जा सके, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह स्थिति तो तब है जब प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रक्रिया को सरल करने का वादा किया था। बैंक के अन्य कार्यों के लिए भी हर स्थान पर, बार-बार आधार कार्ड और पैन कार्ड माँगा जाता है। लॉकर के एग्रीमेंट के साथ एक बार फिर सबसे सत्यापित आधार कार्ड और पैन कार्ड माँगा जा रहा है। जब एक बार बैंक के पास सारे दस्तावेज उपलब्ध है तो फिर उन्हीं को, जहां आवश्यकता हो, वहां क्यों नहीं काम में लिया जा सकता है? सरलीकरण का अर्थ ही अनावश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता को कम करना होता है. काग़ज़ी कार्यवाही को कम करना तो दूर, जो दस्तावेज उपलब्ध हैं , उन्हीं को बार-बार मांग कर, लोगों को परेशान कर रहे हैं. इस बारे में खाताधारकों के पास किसी प्रकार का कोई विकल्प न होने से सब परेशान हो रहे हैं. अब भी बैंकों को इस पर पुनर्विचार कर इस प्रक्रिया तो समाप्त करके लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए. सरकार ने सरलीकरण के नाम पर विभिन्न कार्यों के लिए प्रार्थना पत्र ऑनलाइन कर दिए हैं .इससे बिचौलियों की भरमार हो गई है , अधिकांश व्यक्ति तो इस प्रकार के ऑनलाइन प्रार्थना पत्र फॉर्म भरने में सक्षम ही नहीं है. ऐसा करने की प्रक्रिया भी जटिल है. जो दूसरा व्यक्ति (बिचौलिया), आपकी तरफ से ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है, वह कितनी सूचनाएं गलत और कितनी सही देता है ,इसकी आपको कोई जानकारी नहीं होती. आपका काम तो ,जहां पर वह कहे ,वहां पर आंख बंद करके हस्ताक्षर करने का हो गया है. इसके दुष्परिणाम तो आपको ही भुगतने होंगे, क्योंकि गलत सूचनाएँ देने की जिम्मेदारी तो आप पर ही होगी.

उदाहरणार्थ, "शिक्षा के अधिकार कानून " में गरीब लोगों के लिए निजी विद्यालयों में 25 आरक्षण किया गया है. इसके लिए सारी सूचनाएं अँठोजी में मांगी जाती हैं. गरीब अभिभावक कंप्यूटर से किसी भी प्रकार से परिचित नहीं हैं. उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता एक प्रकार से उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित करने जैसा ही है. हम ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता के कारण कहीं हाशिये के लोगों को एकदम बाहर ही तो नहीं धकेल रहे हैं?

साधारण नागरिक के जीवन को जटिल बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकार, दोनों बराबर की दोषी हैं. अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग भी विभिन्न प्रकार के कामों के लिए स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रयास करते हैं, किंतु विभिन्न समस्याओं के चलते और अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ता के लिए सरल नहीं होने के कारण उन्हें अंततः मजबूरी में किसी "एजेंट" का सहारा लेना होता है .शायद ऑनलाइन प्रक्रियाओं को जटिल रखने के पीछे कहीं यह कारण तो नहीं कि बिचौलियों का धंधा यथावत चलता रहे ? कभी किसी ने बैठकर यह नहीं सोचा कि हम प्रक्रिया के सरलीकरण के नाम पर उसे कहीं अधिक जटिल और साधारण व्यक्ति की समझ से बाहर तो नहीं बना रहे हैं ? यही हाल, कमोबेश हर जगह है, चाहे बैंक में खाता खोलना, उज्जवला गैस कनेक्शन लेना हो, " मुद्रा" योजना में लोन लेना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, मकान का नक्शा पास करवाना हो आदि-आदि . मुद्रा लोन के लिए, कहा तो यह जाता है कि किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ,केवल बैंक में जाएं फॉर्म भरें और लोन मिल जाएगा. असलियत वही जानता है जिसने कभी इसके लिए प्रयास किया हो, कि कितने पापड इस हेतु बेलने पड़ते हैं.

उदाहरणार्थ, "शिक्षा के अधिकार कानून " में गरीब लोगों के लिए निजी विद्यालयों में 25 आरक्षण किया गया है। इसके लिए सारी सूचनाएं अँग्रेजी में मांगी जाती हैं। गरीब अभिभावक कंप्यूटर से किसी भी प्रकार से परिचित नहीं हैं। उनके लिए ऑनलाइन आवेदन की बाध्यता एक प्रकार से उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से वंचित करने जैसा ही है। हम ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता के कारण कहीं हाशिये के लोगों को एकदम बाहर ही तो नहीं धकेल रहे हैं? साधारण नागरिक के जीवन को जटिल बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकार, दोनों बराबर की दोषी हैं। अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग भी विभिन्न प्रकार के कामों के लिए स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन करने का प्रयास करते हैं, किंतु विभिन्न समस्याओं के चलते और अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ता के लिए सरल नहीं होने के कारण उन्हें अंततः मजबूरी में किसी "एजेंट" का सहारा लेना होता है।

यदि आपने आधार कार्ड बनने के बाद मकान बदल लिया तो उसे ठीक कराने में बहुत परेशानी है. कई लोगों के पास अपने निवास का कोई दस्तावेज भी नहीं होता और इस संबंध में किसी प्रकार का कोई स्पष्ट दिशानिर्देश भी नहीं है. दस्तावेज बनवाने और ऑनलाइन आवेदन के चक्रव्यूह में फंस कर साधारण नागरिक रह गया है. दूसरी बात यह कि आजकल ,ओटीपी से ही सारा काम चलता है .अधिकांश लोगों को तो इसका महत्व ही नहीं पता है. जब काम किसी बिचौलिए के माध्यम से करना है ,तो फिर वह किस प्रकार से ओटीपी का दुरुपयोग करके उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है. एक ओर तो बैंक विज्ञापनों में बार-बार यह कहते हैं कि अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के नंबर किसी को न बताएं और दूसरी और अधिकांश प्रकार के बैंक संबंधी कामों में आधार कार्ड की प्रति और पैन कार्ड की प्रति सत्यापित करके मांगी जाती है. इस प्रकार के आधार कार्ड की सूचना का ,बैंक या अन्य संस्थाएं किस प्रकार से क्या दुरुपयोग करते हैं, इसका पता तब लगता है जब किसी व्यक्ति के संपत्ति की नीलामी होने लगती है, या फिर उसके विरुद्ध बैंक का पैसा न लौटाने के कारण विभिन्न प्रकार की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है. ऐसे काम गिने चुने हैं, जिनसे साधारण नागरिक का वास्ता पडता हो,और उसकी प्रक्रिया पहले से सरल हो गई हो. बडी समस्या तो तब आएगी जब सी ए ए (नागरिकता संशोधन कानून)लागू हो जाएगा और जब एन आर सी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) बनाया जाएगा. उस समय समस्याएं अत्यधिक होंगी, क्योंकि देश के अधिकांश नागरिकों के पास तो ऐसा कोई दस्तावेज भी शायद नहीं होगा जिसके आधार पर वह इस देश की नागरिकता को सिद्ध कर सके. क्या ऐसे सभी लोगों को देश निकाला देने की बात की जाएगी? यदि हां, तो फिर यही एक चुनाव लड़ने का मुद्दा बन जाएगा.

हर जगह पर न केवल समस्याएं पहले से कहीं अधिक हो गई हैं, आधार कार्ड की जानकारी अनेक स्थानों पर पहुंचने के कारण निजता का हनन भी हुआ है. पता नहीं, कहां-कहां हमारे रिकॉर्ड आधार के माध्यम से किन-किन कंपनी द्वारा लिए जा रहे हैं ? इसका क्या दूरगामी प्रभाव होगा, यह कहना कठिन है. हां , यह तो हो ही गया है कि व्यक्तिगत पसंद- नापसंद के आधार पर व्यावसायिक कंपनियां फोन करती रहती हैं. चुनाव में भी लोगों की पसंद को प्रभावित कर एक तरफ मोडना सरल हो गया है. हाल ही में इजरायल की एक कंपनी ने तो ऐसा दावा किया गया है कि उसने विश्व के 29 देशों चुनाव परिणाम को प्रभावित किया. कुल मिलाकर, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर जो आशाएं जनता में जागृत हुई थीं कि अब अधिक सरलता से सरकारी कार्यालयों में काम होने लगेंगे या संभवतया सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, वह अब तक पूरी नहीं हो पायीं हैं. इसके लिए दोषी राज्य सरकार भी है क्योंकि नागरिकों का अधिकांश काम तो राज्य सरकार के कार्यालय से ही पडता है. यदि सरलीकरण का अर्थ केवल डिजिटलीकरण है और उसका अर्थ केवल साधारण व्यक्तियों को बिचौलियों के पास जाने के लिए बाध्य करना है, तो ऐसे सरलीकरण का क्या लाभ? अधिक अच्छा होता यदि पहले दस्तावेजों की आवश्यकता को कम किया जाता और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता , तो वह बहुत राहत अनुभव करता। प्रधानमंत्री जी ने शायद इसे भांपते हुए ही आजकल " अच्छे दिन " की बात करना बंद कर दिया है।

राजेन्द्र भाणावत
(आई.ए.एस. रिटायर्ड)

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 पर विशेष

बहुभाषी शिक्षा-शिक्षा को बदलने की आवश्यकता

भारत के साथ दुनिया के कई देशों में अब कई प्राचीन भाषाएं लुप्त होने की कगार पर हैं और हर दो सप्ताह में एक भाषा अपने साथ एक पूरी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को ले जाने के लिए गायब हो रही है। बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज अपनी भाषाओं के माध्यम से मौजूद हैं। जो पारंपरिक ज्ञान और संस्कृतियों को प्रसारित और संरक्षित करते हैं। सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।

भाषाएं अपने जटिल निहितार्थ के साथ, दुनिया भर में पहचान, संचार, सामाजिक एकीकरण, शिक्षा और विकास के लिए पृथ्वी और लोगों के लिए रणनीतिक महत्व रखती हैं। लगातार हो रहे वैश्वीकरण के कारण भाषाएं और बोलियां खतरे में हैं, और पूरी तरह से गायब हो रही हैं। जब भाषाएं लुप्त होती हैं, तो उनके साथ दुनिया की सांस्कृतिक विविधता भी ख़त्म होने लगती हैं। और साथ ही परंपराएं, स्मृति, सोच और अभिव्यक्ति के अद्वितीय तरीके एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान संसाधन भी खो जाते हैं।

दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित 6-7 हजार भाषाओं में से कम से कम 43 प्रतिशत लुप्तप्राय हैं। केवल कुछ सौ भाषाओं को वास्तव में शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक डोमेन में जगह दी गई है, और डिजिटल दुनिया में सौ से भी कम का उपयोग किया जाता है।

अकेले भारत में लगभग 22 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं, 1635 मातृभाषाएं और 234 पहचानयोग्य मातृभाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इस बात की याद दिलाता है कि भाषा हमें कैसे जोड़ती है, हमें सशक्त बनाती है और दूसरों को हमारी भावनाओं को संप्रेषित करने में हमारी मदद करती है। इसी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय, "बहुभाषी शिक्षा," शिक्षा को बदलने की आवश्यकता" ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट के दौरान की गई सिफारिशों के साथ संरेखित है, जहां स्वदेशी लोगों की शिक्षा और भाषाओं पर भी जोर दिया गया था। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय, "बहुभाषी सीखने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना: चुनौतियां और अवसर था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दुनिया भर में वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा नवंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के सामान्य सम्मेलन द्वारा की गई थी।

यह बांग्लादेश द्वारा अपनी भाषा बांग्ला की रक्षा के लिए एक लंबे संघर्ष को भी याद करता है। 21 फरवरी, बांग्लादेशी लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जड़ों की रक्षा के लिए किये गए आंदोलन की वर्षगांठ है। इतिहास में दुर्लभ घटनाओं में से एक इस आंदोलन में लोगों ने अपनी मातृभाषा के खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया था। असल में जब 1947 में पाकिस्तान बना, तो इसके दो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, (वर्तमान में बांग्लादेश) और पश्चिमी पाकिस्तान संस्कृति, भाषा में पूरी तरह से अलग थे और यहां तक कि भूमि से भी जुड़े नहीं थे। वर्ष 1948 में पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला मातृभाषीय लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और बांग्ला को भी एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की।

इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सभी बैठक और रैली रद्द करवा दी। आदेशों की अवहेलना करते हुए ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने बड़े पैमाने पर रैलियों की व्यवस्था जारी रखी। 21 फरवरी 1952 को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी करवा दी जिसमें 04 छात्रों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए। इसके बाद भी विरोध जारी रहा और 1956 में पाकिस्तान सरकार को बांग्ला को आधिकारिक भाषा का दर्जा देना पडा।

जनवरी 1998 में एक बांग्लादेशी कैनेडियन नागरिक रफीकुल इस्लाम ने सयुंक्त राष्ट्र के जनरल को खत लिखकर दुनिया की लुप्त होती भाषाओं को बचाने के लिए अंतराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाए जाने के लिए आठाह किया और इसके लिए उन्होनें 21 फरवरी के दिन प्रस्ताव रखा। इसके बाद नवंबर 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी।

16 मई 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव //61/266 में सदस्य देशों से "दुनिया के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी भाषाओं के संरक्षण और संरक्षण को बढ़ावा देने" का आ ान किया।

उसी प्रस्ताव द्वारा, महासभा ने बहुभाषावाद और बहुसंस्कृतिवाद के माध्यम से विविधता और अंतर्राष्ट्रीय समझ में एकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 को भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया।

आज के समय में यह जागरूकता बड़ी है कि भाषाएं विकास में, सांस्कृतिक विविधता और सांस्कृतिक संवाद सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी के साथ भाषाएं, आपसी सहयोग बढ़ाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में, समावेशी ज्ञान समाजों के निर्माण और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में और सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति को जुटाने में भी अपना योगदान देती हैं। यूनेस्को का मानना है कि पहली भाषा या मातृभाषा पर आधारित शिक्षा को बच्चों के शुरुआती वर्षों से ही शुरू होना चाहिए क्योंकि बचपन की देखभाल और शिक्षा, सीखने की नींव होती है।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। हालाँकि, उत्सव का मुख्य विचार मातृ भाषाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और समावेशिता को प्रोत्साहित करना है। चूंकि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ एक ऐतिहासिक संबंध है, इसलिए यह दुखद गोलीबारी की याद में और उन शहीदों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बहुभाषी शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद है। कोई भी किसी भी संभावित क्षमता में भाग ले सकता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में विभिन्न विषयों पर शोध करना, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करना और बहुभाषावाद पर व्याख्यान, कार्यक्रम या कार्यशालाओं में भाग लेना। साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना, विभिन्न भाषाओं में या अपनी मातृभाषा में लिखी गई फिल्मों और पुस्तकों को बढ़ावा देना, मातृभाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करना या एक नई भाषा सीखना इस दिन को मनाने के कुछ और तरीके हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इस संदेश को प्रतिध्वनित करता है कि हमें कुछ भाषाओं के बारे में हमारे किसी भी पूर्वाठाह को बदलना चाहिए, और हमारे ठाह पर मौजूद कई अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं को विकसित करने के लिए समावेशिता का वातावरण बनाना चाहिए। ऐसा करने से, और अपनी मातृभाषा में व्यक्त करने की स्वतंत्रता का विस्तार करके, रोजगार और विकास के अवसर पैदा होते हैं, और इस प्रकार सभी को अपनी संस्कृति और अपने देश के विकास में योगदान करने का अवसर मिलता है।

प्रकाश चंद्र शर्मा
स्वतंत्र पत्रकार एवं लेखक

छात्रा सिमरन के चौके व छक्कों से सतीश पूनिया अभिभूत हुए

निवाई, (निसं)। निवाई की करेडा बुजुर्ग के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्रा सिमरन चौधरी का क्रिकेट खेलते हुए का वीडियो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है। वीडियो में छात्रा शानदार बेटिंग कर रही हैं।

- **भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया द्वारा भेजी गई किट छात्रा को सौंपी**
- **विद्यालय में पूनिया ने खिलाड़ी सिमरन चौधरी से फोन पर बात भी की**

सिमरन को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से फोन पर जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा ने बात करवाई।

पूनिया के द्वारा भेजा हुआ ट्रैक सूट, बेट, हैलमेट, विकेट, शूज़ सहित संपूर्ण किट जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, रतनदीप गुर्जर, राकेश चंवरिया, शिवदयाल गुर्जर, मोहित चंवरिया ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करेडा बुजुर्ग पहुंचकर खिलाडी सिमरन व उनके पापा को सौंपी। विद्यालय में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने खिलाडी सिमरन चौधरी से फोन पर बात भी की। सतीश पूनिया ने कहा कि आप आगे बढ़ो आपको खेल से सम्बधित किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना में आपकी हरसंभव मदद करेंगे। खिलाडी सिमरन ने भी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को किट दिलवाने के लिए धन्यवाद दिया। पूनिया ने पूछा आगे क्या करोगी, सिमरन ने कहां भारत की टीम में क्रिकेट खेलूंगी। सूचना मिलते ही सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया ने करेडा बुजुर्ग स्कूल में पहुचंकर खिलाडी सिमरन को मिठाई खिलाकर मनोबल बढाया।

सांसद ने कहा कि ग्रामीण परिवेश की प्रतिभा को सुविधा मिल जाए तो यह राजस्थान का नाम रोशन कर सकती है। प्रधानाचार्य भवानीशंकर दरोगा ने बताया कि खिलाड़ी दो बार जिलास्तर पर खेल चुकी हैं। खिलाडी एकेडमी में जिलास्तर पर चयन हो गया है। इस दौरान नरेश बंसल, विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया, बेनीप्रसाद जैन, मोहित चंवरिया, युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री चंद्रवीरसिंह चौहान, शिवदयाल गुर्जर, गणेश सैनी, नारायण महाराज, जगदीश दौराया, रामजीलाल मीणा, शम्भुदयाल शर्मा, चतुर्भुज कुमावत, अशोक सैनी, गोपीराम चौधरी सहित स्कूल स्टाफ मौजूद था।

सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीण

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना उपखण्ड क्षेत्र के मौलासर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत फोगडी के आईटी सेंटर पर ग्रामीणों के मुताबिक अमूमन ताला लटका रहता है। कभी कभी ऑफिस की कागजी कार्यवाही पूरी करने कर्मचारी आते भी है तो महज कुछ घंटों के लिये कार्यालय खोला जाता है मगर उसमें भी ग्रामीणों को बहाना बनाकर वापस बिना काम भेज दिया जाता है ऐसे में ग्रामीणों को ग्राम पंचायत से जुड़े कार्यों के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब आईटी सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो आईटी सेंटर पर ताला लगा हुआ था और यहां ग्रामसेवक, लिपिक औऱ अन्य कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था।

जब फोन पर ग्रामसेवक हनुमान राम से बात की तो दूसरी ग्राम पंचायत का अतिरिक्त चार्ज होने का बहाना बनाकर फोन काट दिया वही विकास अधिकारी श्री किशन जांगिड़ का कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी और कार्मिकों को समय पर ड्यूटी के लिए पाबंद किया जाएगा। बहरहाल गांव में व्यवस्थाएं बदहाल है। गांव में वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है तो वहीं गांव के मुख्य चौक में वर्षो से गंदे पानी का भराव होकर बदबू मार रहा है। ग्राम में मौसमी बीमारियां पनप रही है। लेकिन सरपंच और ग्रामसेवक कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

21 फरवरी 2023

फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, विक्रम सम्वत 2079, शतभिषा नक्षत्र प्रात: 9.00 तक, सिद्ध योग रात्रि 3.08 तक, बवकरण प्रात: 9.05 तक, चन्द्रमा रात्रि 9.14 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति - सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-वृष, बुध-मकर, गुरु-मीन, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में संचार करेगा। कुमार योग दिन 9.00 से दिन 9.05 तक है। त्रिपुष्कर योग दिन 9.05 से बुधवार प्रात: 5.50 तक है। आज चन्द्रदर्शन उत्तरभृगोन्नति है आज द्वितीय तिथि का क्षय हुआ है। आज फुलेरा दोज है ओर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जयंती है।

श्रेष्ठ चौघडिया - चर 9.52 से 11.16 तक, लाभ-अमृत 11.16 से 2.05 तक, शुभ 3.29 से 4.54 तक **राहुकाल** - 3.00 से 4.30 तक सूर्योदय 7.03 सूर्यास्त 6.18 मिनट पर

मेष
आर्थिक वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय के नवीन स्रोत सामने आयेगे। शुभ-मांगलिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में समय अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में मांगलिक-धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बडेगी। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बडेगी।

कर्क
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलंब हो सकता है। पारिवारिक कार्यों के कारण भाग-दौड रहेगी। आपसी वाद-विवाद बढ़ने का भय बना रहेगा।

सिंह
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। आपसी सहयोग समन्वय बना रहेगा। सामुहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।

कन्या
आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं।

धनु
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

मकर
पारवार म मन का प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है।

कुंभ
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल आत्मविश्वास बडेगा। आवश्यक ओर महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
पारिवारिक कार्यों के कारण भाग-दौड रहेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। आर्थिक कार्यों में समय खराब होगा। आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।